

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02.त0शि0/विविध-05/2023

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के चाहरदिवारी के निर्माण हेतु राशि ₹0 1,11,13,884/- (₹0 एक करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार आठ सौ चौरासी) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के लिए हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा सुरक्षा की दृष्टिकोण से चाहरदिवारी निर्माण किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 2405(नि0) दिनांक 29.09.2023 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के चाहरदिवारी निर्माण कार्य के लिए कुल ₹0 1,46,56,500/- (₹0 एक करोड़ छियालीस लाख छप्पन हजार पांच सौ) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक 21/योजना दिनांक 06.11.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त चाहरदिवारी के निर्माण कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 364/नि0 दिनांक 07.03.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 45/योजना दिनांक 22.03.2025 के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के चाहरदिवारी निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹0 1,11,13,884/- (₹0 एक करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार आठ सौ चौरासी) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।

विपत्र कोड - 43S42020279606010545

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।

5. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।



6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
9. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. वित्त विभाग के पत्रांक 517/वि० दिनांक 04.03.2025 के आलोक में मार्च माह में निकासी हेतु 15% की बंधेज क्षांत किया जाता है।
13. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी०भी०न० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 02.त०शि०/विविध-05/2023

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 02.त०शि०/विविध-05/2023 - 30/बजट

/राँची, दिनांक:- 25/03/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/लेखा शाखा/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 2TS/v-05/2023/30/BUDGET

दिनांक - 25-Mar-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 43 42020279606010545	102412	DRNSCT001	11,113,884.00
	4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		MANAUWAR ALAM	रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार आठ सौ चौरासी
	02 - तकनीकी शिक्षा		U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता			
	06 - तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण - इंजीनियरिंग कॉलेज / पॉलिटेक्निक / खानन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार			
	01-राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण-जीर्णोद्धार.			
	05 - निर्माण		45 - निर्माण कार्य	
	State Scheme			
	State Scheme :		CONSTRUCTION - RENOVATION OF GOVERNMENT ENGG. COLLEGE, POLYTECHNICS,	
	Central Scheme :		TECHNICAL EDUCATION HUB AND OTHER INFRASTRUCTURE(0133)	

योग:

रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार आठ सौ चौरासी

11,113,884.00

क्रमिक योग:

(SUNIL KUMAR)

ADDITIONAL SECRETARY

